उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार– 249404

www.ukpsc.gov.in

सं0 : 171 / 07/E-02/DR/AG(RO/ARO)/2017-18 दिनांकः 05 जनवरी, 2023

अभिलेख मिलान हेतु अनुदेश

(महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी / सहा0 समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2021)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2021 के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–A-3/E-2/DR/AG(RO/ARO)/2021 **दिनांक 15 अगस्त, 2021** के सापेक्ष लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर अन्तिम चयन परिणाम दिनांक **30 दिसम्बर, 2022** को घोषित कर दिया गया है।

2. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध प्रपत्र–02 (आवेदन पत्र), प्रपत्र–03 (प्रमाणीकरण प्रपत्र) एवं प्रपत्र–04 (देशना पत्रक) के प्रिंटआउट प्राप्त करके उसमें समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से अंकित करने के पश्चात अभिलेखों के परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि को उत्तराखण्ड लोक सेवा, हरिद्वार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. **उक्तानुसार चयनित घोषित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक, आरक्षण एवं अन्य समस्त दावों का मूल प्रमाण पत्र / अभिलेखों से मिलान दिनांक 16.01.2023 को निर्धारित किया गया है।** अभ्यर्थी प्रश्नगत परीक्षा हेतु आयोग को पूर्व में उपलब्ध कराये गये समस्त शैक्षणिक, आरक्षण एवं अन्य अभिलेखों व ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावों के मूल प्रमाण पत्र / अभिलेखों से मिलान हेतु निर्धारित तिथि को मूल रूप में निम्नलिखित समस्त अभिलेखों सहित आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. अभ्यर्थी संलग्न चैकलिस्ट के अनुसार अपने प्रमाण पत्र की छायाप्रति व मूल प्रति नियत तिथि को आयोग में प्रस्तुत करेंगें।

5. अभिलेखों के मिलान हेतु अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार चैकलिस्ट में उल्लिखित अभिलेखों की मूल प्रति आयोग में दिखानी होगी।

6. किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेखों के मिलान से छूट प्रदान नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी के अभिलेखों के मिलान हेतु नियत तिथि व समय पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन को प्रेषित नहीं की जायेगी तथा चयन निरस्त कर दिया जाएगा।

-Sd-

(जी0एस0 रावत)

सचिव।